

आर:

आदेश

प्राचीन का प्रा-पत्र अरु धारा 136 अ- राजस्थान अधिनियम 1956 एकीकृत  
 किया जाकर ग्राम भूसाधारण के समावेदी सम्बन्ध 2068-2071 के  
 अधिनियम 144 में "सुमेर पिठ दाना" के स्थान पर "सुमेर चन्द  
 पिठ दाना राम दुकान करने के आदेश दिखे जाने है आदेश के  
 तत्परिणाम से सुमेर के पालक के अधिकार के साथ मिश्रित  
 जाये। पत्तादली कमल सुभाष खेपर के नाम से कर ले एक  
 गाड नकसीला 51 दिखे दाना है आदेश सुभाष गण।



*[Handwritten signature]*  
09/03/20

राजस्थान अधिनियम

सुमेर चन्द